

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंजरपुर

मिसल नं० ३४७
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक- 03-07-18

निर्णय ::

प्रार्थी श्री भावजी पि. जगजी

जति श्रील वयलु सामोला का शोध

तहसील झुंजरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत दिनांक 03-07-18 इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा सामोला का शोध में स्थित खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2 कुल 2 बीघा

4 बिस्वा किता 1 योग रकबा 2-04 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्रील वयलु सामोला का शोध नं० सामोला का शोध प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सामोला का शोध के खसरा नं० 585 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 11 की जमाबंदी सम्वत् 2077-74 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा सामोला का शोध में स्थित खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2 रकबा 2-04 कुल किता 1 कुल रकबा 2-04 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा सामोला का शोध में स्थित खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2 रकबा 2-04 कुल किता 1 कुल रकबा 2-04 विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, झुंजरपुर मू०अ० निरीक्षक पुनाना के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, झुंजरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 900/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

झुंजरपुर